कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ।
संख्याः न–42 / एफएस–2018 दिनांकः जुलाई 20 ,2018

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
महर्षि विद्या मंदिर
आई0आई0एम0 बाईपास सीतापुर रोड
लखनऊ।

विषयः— महर्षि विद्या मंदिर, आई0आई0एम0 बाईपास सीतापुर रोड,लखनऊ भवन को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने प्राथर्ना पत्र रहित का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त विषय स्कूल भवन का अग्निसुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, बी0के0टी0 द्वारा निरीक्षण / परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः—

भवन की संरचना :—

1— विद्यालय भवन का प्लाट एरिया— 878.15 वर्ग मीटर
2— भूतल से द्वितीय तल प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया — 758.00 वर्ग मीटर
3— भवन की ऊचाई लगभग— 9.50 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवॅ हेजार्ड श्रेणीः— प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की शैक्षिक श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढॉचागत व्यवस्थाः—

1— पहुॅच मार्ग :— स्कूल भवन के सामने 30 मीटर रोड उपलब्ध है।
3— निकास मार्गः— 03 स्टेयर केस उपलब्ध है

अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाः—

1— **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)**:— भवन के प्रत्येक तल पर आईएस 2190—2010 के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूसर कायशील दशा में उपलब्ध है।

2— **होरील / डाउन कमर** :— भवन के प्रत्येक तल पर होजरील एवॅ डाउन कमर की व्यवस्था स्थापित की गई है ।

3— **टेरेस टैंक एवॅ टेरेस पम्प** :— भवन के टेरेस पर 100000 (दस हजार) लीटर क्षमता से अधिक का टेरेस टैंक एवॅ 450 लीटर प्रति मिनट क्षमता का टेरेस पम्प का अधिष्ठापन किया गया है ।

आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के अनुसार विद्यालय 2005 के पूर्व का बना है। शासनादेश संख्याः 2688 / छः—पु0—8—2008 दिनांकः 20.11.2008 के अनुसार पहुॅच मार्ग, सेटबैक, फायर स्केप पर छूट अनुमन्य है।

अतः उपरोक्तानुसार महर्षि विद्या मंदिर, आई0आई0एम0 बाईपास सीतापुर रोड, लखनऊ भवन को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है।

1— भवन स्वामी / प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स शैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।

2— भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।

3— किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4— प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।

5— विद्यालय भवन के जिन कमरों में एक ही दरवाजा लगा है। इन कमरो में 45 से अधिक छात्र/छात्राओं को नही बैठाया जायेगा।

6— विद्यालय भवन में विस्फोटक पदार्थो का भण्डारण नही किया जायेगा।

7— भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण फायर फाइटिंग सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

8— उक्त शर्तो/ निर्देशो का उल्लंघन होने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

20.07.2018

(ए0बी0पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः— अग्निशमन अधिकारी, बी0के0टी0 लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।